संख्याः 2965 /33–3–2013–127/2013

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परियोजना प्रबंध इकाई, बी0आर0जी0एफ0,
   जनपदः– बाराबंकी, हमीरपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सीतापुर।
2. अपर मुख्य अधिकारी/नोडल अधिकारी,
   जिला पंचायत– बाराबंकी, हमीरपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सीतापुर।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 20 नवम्बर, 2013

विषयः– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2013–14 में केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या 1621/33–3–13–127/2013 दिनांक 21.06.2013 एवं शासनादेश सं0 2256/33–3–13–127/2013 दिनांक 16.08.2013 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत वर्ष 2013–14 की केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु वांछित उपभोग प्रमाणपत्र एवं अन्य वांछित विवरण/अभिलेख तत्काल परियोजना प्रबंध इकाई, बी0आर0जी0एफ0 को प्रेषित कर दिये जांय जिससे वर्ष 2013–14 की अनुमन्य धनराशि अवमुक्त करायी जा सके।

खेद है कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी जनपद बाराबंकी में रू0 19.57 करोड़, सीतापुर में रू0 25.41 करोड़, कौशाम्बी में रू0 23.51 करोड़, प्रतापगढ़ में रू0 15.51 करोड़, हमीरपुर में रू0 12.73 करोड़ एवं जौनपुर में रू0 12.69 करोड़ के उपभोग प्रमाणपत्र नहीं प्रेषित किये गये हैं जिसके फलस्वरूप भारत सरकार से वर्ष 2013–14 की प्रथम किश्त की धनराशि अप्राप्त है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विलम्बतम् 20 नवम्बर, 2013 तक वांछित उपभोग प्रमाणपत्र एवं अन्य वांछित अभिलेख परियोजना प्रबंध इकाई, बी0आर0जी0एफ0 को प्राप्त करा दिये जाएं अन्यथा भारत सरकार से धनराशि की कटौती होने पर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव

Gen-1